



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-01102021-230111
CG-KA-E-01102021-230111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3709]
No. 3709]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलूरु 30 सितम्बर, 2021

का.आ. 4043(अ).—रेल अधिनियम 1989 (1989 के 24) की धारा 20E की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, सक्षम प्राधिकारी एवं उप जिलाधिकारी व एसडीओ -1 सालसेटे, मारगोवा, गोवा द्वारा उनके कार्यालय पत्र सं एसडीओ/एलए-19/2020-21/9438/I दि. 04.08.2021 द्वारा संसूचित रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाने के पश्चात अधिनियम की धारा 20A की उप धारा (1) के अधीन दिनांक 09.06.2020 के सं. आ 1844 (असा.) के अंतर्गत अधिसूचित और निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाई गई एवं वर्णित भूमि जो, चंदरगाँव और मडगाँव के बीच 80/500-600 किलोमीटर पर एल सी सं. 19 के बदले निर्मित होने को तय सड़क ऊपरी पुल नामक विशेष रेल परियोजना के लिए जरूरी है, को अधिग्रहित करने की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धारा(1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में आपत्ति उठा सकेगा;

समपार सं.19 के बदले निर्मित होने वाले लोंडा वास्को रोड सड़क ऊपरी पुल के संबंध में ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, प्रभारी भूमि अधिग्रहण अधिकारी/उप जिलाधिकारी और उप मंडलीय अधिकारी, सालसेट के

समक्ष लिखित रूप में उठाई जाएगी और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आपत्तियों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को या तो स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20 डी की उप-धारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य व्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची
भूमि का ब्यौरा

जिला : दक्षिण गोवा						
क्रम सं.	गाँव	तालूक	सर्वेक्षण सं.	उप मं. सं.	आंशिक/संपूर्ण	अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि
1	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	4	1	अंश	0.00339
2	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	4	13	अंश	0.00045
3	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	5	1	अंश	0.017112
4	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	5	3	अंश	0.029548
5	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	17	अंश	0.0072442
6	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	20	अंश	0.01308
7	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	21	अंश	0.007128
8	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	22	अंश	0.006621
9	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	23	अंश	0.007694
10	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	24	अंश	0.007372
11	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	25	अंश	0.002391
12	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	28	अंश	0.007422
13	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	6	31	अंश	0.007629
14	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	17	1	अंश	0.0052822
15	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	17	3	अंश	0.0243211
16	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	17	4	अंश	0.0089691
17	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	17	6	अंश	0.0356923
18	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	17	8	अंश	0.1508391
19	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	17	23	अंश	0.0043318
20	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	18	1	अंश	0.1997337
21	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	18	2	अंश	0.003098
21	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	58	1	अंश	0.130935
23	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	58	4	अंश	0.002074
24	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	59	1	अंश	0.006468
25	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	59	2	अंश	0.16743

26	साओ जोस डे अरियल	सालसेटे	311	1	अंश	0.012448
कुल						0.8687035

[फा. सं. 271/नि/बें छा /भूमि/1219 दिनांक 30.09.2021]

पी मोहनन, उप मुख्य अभियंता (नोडल अधिकारी)

MINISTRY OF RAILWAYS**[SOUTH WESTERN RAILWAY(CONSTUCTION ORGANISATION)]****NOTIFICATION**

Bengaluru, the 30th September 2021

S.O. 4043(E).—In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 20E of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Central Government after being satisfied with the report of the Competent Authority and Dy. Collector & SDO-1 Salcete, Margao-Goa, submitted vide his office communicated No. SDO/LA-19/2020-21/9438/I dt. 04.08.2021, here by declares that the lands described and shown in the following schedule and notified under S.O 1844 (E) dt. 09.06.2020 under sub section (1) of Section 20A of the Act, shall be acquired for executing the Special Railway Project namely Construction of ROB in lieu of LC 19 at KM 80/500-600 between Chandargao and Madgao station.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Incharge Land Acquisition Officer, Deputy Collector and Sub-Divisional Officer, Salcete for Londa Vasco Road over Bridge in lieu of level crossing No.19 in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE**Description of the lands**

District : South Goa						
Sl.No.	Village	Taluk	Survey No.	Sub No.	Div.	PART/FULL
						Area proposed for acquisition (In Hectare)
1	Sao Jose de Areal	Salcete	4	1		PART
2	Sao Jose de Areal	Salcete	4	13		PART
3	Sao Jose de Areal	Salcete	5	1		PART
4	Sao Jose de Areal	Salcete	5	3		PART
5	Sao Jose de Areal	Salcete	6	17		PART
6	Sao Jose de Areal	Salcete	6	20		PART
7	Sao Jose de Areal	Salcete	6	21		PART
8	Sao Jose de Areal	Salcete	6	22		PART
9	Sao Jose de Areal	Salcete	6	23		PART
10	Sao Jose de Areal	Salcete	6	24		PART
11	Sao Jose de Areal	Salcete	6	25		PART
12	Sao Jose de Areal	Salcete	6	28		PART
13	Sao Jose de Areal	Salcete	6	31		PART

14	Sao Jose de Areal	Salcete	17	1	PART	0.0052822
15	Sao Jose de Areal	Salcete	17	3	PART	0.0243211
16	Sao Jose de Areal	Salcete	17	4	PART	0.0089691
17	Sao Jose de Areal	Salcete	17	6	PART	0.0356923
18	Sao Jose de Areal	Salcete	17	8	PART	0.1508391
19	Sao Jose de Areal	Salcete	17	23	PART	0.0043318
20	Sao Jose de Areal	Salcete	18	1	PART	0.1997337
21	Sao Jose de Areal	Salcete	18	2	PART	0.003098
21	Sao Jose de Areal	Salcete	58	1	PART	0.130935
23	Sao Jose de Areal	Salcete	58	4	PART	0.002074
24	Sao Jose de Areal	Salcete	59	1	PART	0.006468
25	Sao Jose de Areal	Salcete	59	2	PART	0.16743
26	Sao Jose de Areal	Salcete	311	1	PART	0.012448
TOTAL						0.8687035

[F. No. 271/CN/BNC/Land/1219 dated 30.09.2021]

P. MOHANAN, Dy. Chief Engineer General (Nodal Officer)